

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2024-पौष 4, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2024

क्र. 18731-228-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०२४

[दिनांक २४ दिसम्बर २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २५ दिसम्बर २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०२४ है.

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२४,६०,१८,०६,६२१ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार चार सौ साठ करोड़ अठारह लाख छः हजार छः सौ इक्कीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	७००
				७००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,८३,००,०००	०
		पूंजी	५७,४३,०००	०
				३,८३,००,०००
००३.	गृह	राजस्व	१०,८०,००,६००	०
		पूंजी	७५,००,०००	०
				१०,८०,००,६००
००५.	जेल	राजस्व	११,६४,३८२	०
		पूंजी	१५,००,००,०००	०
				११,६४,३८२
००६.	वित्त	पूंजी	१,५०,००,००,०००	०
				१,५०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२५,३१,२४,०००	०	२५,३१,२४,०००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	७२,८२,०२,४००	१०,००,०००	७२,८२,०२,४००
००९.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१५,००,०००	०	१५,००,०००
०१०.	वन	राजस्व	०	४०,००,०००	४०,००,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	८७,६३,६३,११,९८०	०	८७,६३,६३,११,९८०
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२००	०	२००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व	६८,४१,७०६	०	६८,४१,७०६
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	६००	०	६००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२,६०,००,००,०००	०	२,६०,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	५४,००,००,०००	०	५४,००,००,०००
		पूंजी	३५,१५,००,००,०००	०	३५,१५,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	६०,००,०२,१००	२,२६,३५,००,०००	२,८६,३५,०२,१००
		पूंजी	५,११०,००,००,४००	०	५,११०,००,००,४००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०२३. जल संसाधन	राजस्व	७८,००,००,०००	०
	पूंजी	१५,१५,१३,७६,२००	०
०२४ लोक निर्माण कार्य	राजस्व	६१,००,००,०००	०
	पूंजी	१०,५०,००,००,०००	०
०२७. स्कूल शिक्षा	राजस्व	५००	०
	पूंजी	२००	०
०२६ विधि और विधायी कार्य	राजस्व	५,२६,२५,०००	५,४०,००,०००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०
०३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	१०,६१,००,००,०००	०
	पूंजी	१,००,००,००,२००	०
०३३. जनजातीय कार्य	राजस्व	२,४१,३०,०२,८५०	०
	पूंजी	१००	०
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	४,५०,००,००,०००	०
०३६. परिवहन	राजस्व	२००	०
	पूंजी	२१,००,००,०००	०
०३७. पर्यटन	पूंजी	१,३१,५३,८०,०००	०
०३८. आयुष	राजस्व	५४,३१,६६,१००	०
	पूंजी	२०,००,०००	०
०३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	१०,००,००,०००	०
	पूंजी	२००	०
०४०. पंचायत	राजस्व	८५,००,००,०००	०
०४३. खेल और युवा कल्याण	राजस्व	५४,००,०००	०
	पूंजी	८६,२६,००,०००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व ३४,५६,००,००० पूंजी १,१०,४३,००,०००	० ०	३४,५६,००,००० १,१०,४३,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व १,३०,००,००,०००	०	१,३०,००,००,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व १,२५,००,००,००० पूंजी २०,००,००,००,०००	० ०	१,२५,००,००,००० २०,००,००,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व ६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व १,८७,३४,००,००० पूंजी १,००,००,०००	० ०	१,८७,३४,००,००० १,००,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ५,५०,०१,००,०००	०	५,५०,०१,००,०००
योग :		राजस्व : १,२८,६५,०४,०२,६२१ पूंजी : ६३,२६,८६,०३,३००	२,३५,२५,००,७०० ०	१,३१,३०,२६,०३,३२१ ६३,२६,८६,०३,३००
वृहद्-योग :		२,२२,२४,६३,०५,६२१	२,३५,२५,००,७००	२,२४,६०,१८,०६,६२१

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2024

क्र. 18731-228-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 OF 2024

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 6) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 24th December, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th December, 2024.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2024-2025.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 2024.
- Issue of Rs. 2,24,60,18,06,621 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2024-2025.** 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Twenty Two Thousand Four Hundred Sixty Crore Eighteen Lakh Six Thousand Six Hundred Twenty One towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2024-2025 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.
- Appropriation.** 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	700	700
001.	General Administration			
	Revenue	3,83,00,000	0	3,83,00,000
	Capital	57,43,000	0	57,43,000
003.	Home			
	Revenue	10,80,00,600	0	10,80,00,600
	Capital	75,00,000	0	75,00,000
005.	Jail			
	Revenue	11,94,382	0	11,94,382
	Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
006.	Finance	Capital	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
007.	Commercial Tax	Revenue	25,31,24,000	0	25,31,24,000
008.	Expenditure On Land Revenue, District Administration and Disaster Relief.	Revenue	72,82,02,400	10,00,000	72,92,02,400
009.	New and Renewable Energy	Revenue	15,00,000	0	15,00,000
010.	Forest	Revenue	0	40,00,000	40,00,000
011.	Industrial Policy and Investment Promotion.	Revenue	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
012.	Energy	Revenue	87,63,63,11,980	0	87,63,63,11,980
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.	Revenue	200	0	200
015.	Nomadic and Semi-Nomadic Tribe Department.	Revenue	98,41,709	0	98,41,709
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development.	Revenue	600	0	600
017.	Co-operation	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
018.	Labour	Revenue	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
019.	Public Health and Family Welfare.	Revenue	2,90,00,00,000	0	2,90,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
020.	Public Health Engineering	Revenue 54,00,00,000 Capital 35,15,00,00,000	0 0	54,00,00,000 35,15,00,00,000
022.	Urban Development and Housing.	Revenue 60,00,02,100 Capital 5,70,00,00,400	2,29,35,00,000 0	2,89,35,02,100 5,70,00,00,400
023.	Water Resources	Revenue 78,00,00,000 Capital 15,15,13,79,200	0 0	78,00,00,000 15,15,13,79,200
024.	Public Works	Revenue 61,00,00,000 Capital 10,50,00,00,000	0 0	61,00,00,000 10,50,00,00,000
027.	School Education	Revenue 500 Capital 200	0 0	500 200
029.	Law and Legislative Affairs	Revenue 5,29,25,000 Capital 10,00,00,000	5,40,00,000 0	10,69,25,000 10,00,00,000
030.	Rural Development	Revenue 10,61,00,00,000 Capital 1,00,00,00,200	0 0	10,61,00,00,000 1,00,00,00,200
033.	Tribal Affairs	Revenue 2,41,30,02,850 Capital 100	0 0	2,41,30,02,850 100
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.	Revenue 4,50,00,00,000	0	4,50,00,00,000
036.	Transport	Revenue 200 Capital 21,00,00,000	0 0	200 21,00,00,000
037.	Tourism	Capital 1,31,53,80,000	0	1,31,53,80,000
038.	Ayush	Revenue 54,31,96,100 Capital 20,00,000	0 0	54,31,96,100 20,00,000
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.	Revenue 10,00,00,000 Capital 200	0 0	10,00,00,000 200

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
040.	Panchayat	Revenue 85,00,00,000	0	85,00,00,000
043.	Sports and Youth Welfare	Revenue 54,00,000 Capital 89,26,00,000	0 0	54,00,000 89,26,00,000
044.	Higher Education	Revenue 34,59,00,000 Capital 1,10,43,00,000	0 0	34,59,00,000 1,10,43,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue 1,30,00,00,000	0	1,30,00,00,000
048.	Narmada Valley Development	Revenue 1,25,00,00,000 Capital 20,00,00,00,000	0 0	1,25,00,00,000 20,00,00,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue 90,00,00,000	0	90,00,00,000
054.	Backward Classes Welfare	Revenue 1,87,34,00,000 Capital 1,00,00,000	0 0	1,87,34,00,000 1,00,00,000
055.	Women and Child Development.	Revenue 5,50,01,00,000	0	5,50,01,00,000
Total :		Revenue — 1,28,95,04 02,621	2,35,25,00,700	1,31,30,29,03,321
		Capital — 93,29,89,03,300	0	93,29,89,03,300
Grand Total		— 2,22,24,93,05,921	2,35,25,00,700	2,24,60,18,06,621